न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 55/2021

1. बंशीलाल पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. दीवानसिंह पि0 मु0 जेठुराम जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
3. कलावती पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
4. भंवरीदेवी पत्नी नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
5. विकास कुमार पुत्र स्व0 नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
6. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
7. एसबीआई शाखा मुर्तिचौक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र मील**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 25.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास खाता सं0 71/73 के खसरा सं0 220 की 2.694है0 खसरा सं0 222 की 2.276है0 खसरा सं0 368 की 2.226है0 खसरा सं0 378 की 2.656है0 खसरा सं0 443 की 1.353है कुल 11.205है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा जेठुराम की खातेदारी हुआ करती थी। जेठुराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण [illegible] होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का [illegible] एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि [illegible] करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्य[illegible] रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इ[illegible] हो गये लिहाजा यही [illegible] मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। संम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6

Scanned with CamScanner

द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 7 व 8 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बंशीलाल पुत्र दीवानसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी उतरादाबास संवत 2075–78 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवंत 2019 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 मृत्युप्रमाण पत्र नत्थूराम प्रदर्श 4 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही उतरादाबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी उतरादाबास संवत 2075–78 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवंत 2019 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 मृत्युप्रमाण पत्र नत्थूराम प्रदर्श 4 करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार दीवानसिंह के तीन पुत्र बंशीलाल, विनोदकुमार नत्थूराम(नत्थूराम फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान के रूप में प्रतिवादी सं0 4 ता 6 के रूप में पक्षकार है) व एक पुत्री कलावतीदेवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1.,2 तथा 4 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास खाता सं0 71/73 के खसरा सं0 220 की 2.694है0 खसरा सं0 222 की 2.276है0 खसरा सं0 368 की 2.226है0 खसरा सं0 378 की 2.656है0 खसरा सं0 443 की 1.35[illegible] 11.205है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह के नाम राजस्व [illegible] है में प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह की बजाय वादी बं[illegible] प्रतिवादी सं0 2 विनोदकुमार संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रति[illegible] सं0 4 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व [illegible]वादी सं0 1 व 2 , 4 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) आदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 55/2021

1. बंशीलाल पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. दीवानसिंह पि0 मु0 जेतुराम जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
3. कलावती पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
4. भंवरीदेवी पत्नी नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
5. विकास कुमार पुत्र स्व0 नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
6. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 नत्थूराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
7. एसबीआई शाखा मुर्तिचौक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास खाता सं0 71/73 के खसरा सं0 220 की 2.694है0 खसरा सं0 222 की 2.276है0 खसरा सं0 368 की 2.226है0 खसरा सं0 378 की 2.656है0 खसरा सं0 443 की 1.353है कुल 11.205है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह की बजाय वादी बंशीलाल व प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 विनोदकुमार संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 4 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 , 4 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.06.2... को ... के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner